

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28()पंरावि/प्रशा.2/स.स.-पं.प्र.अ./सेवा.निवृत्त/2020/2134 जयपुर,दिनांक / 3-10-20


:: आ दे श ::

श्री जसवन्तसिंह बालावत, अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति सायला, जिला जालोर अधीनस्थ सेवा में कार्यरत हैं, को अधिवार्षिता की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 31.01.2021 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री जसवन्तसिंह बालावत, अतिरिक्त विकास अधिकारी, के विरुद्ध आज तक:-


- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,


(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य/अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जालोर को उनके पत्र क्रमांक 6182 दिनांक 09.09.2020 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि उक्त का विभागीय जाँच बकाया नहीं होने का प्रमाणीकरण आप द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है। अतः उक्त कार्मिक के सेवानिवृत्ति तक किसी प्रकार की प्रतिकूल कार्यवाही विरचित होने पर पेंशन विभाग एवं इस कार्यालय को अवगत कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सायला, जिला जालोर।
5. श्री जसवन्तसिंह बालावत, अति. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सायला, जिला जालोर।
6. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)